न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 31/2026

सुकई राम ———बनाम—— इब्राहीम आदि

दिनांक 04—04—2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08—04—2026 को पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 08—04—2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र विरूद्ध इब्राहीम आदि इन कथनों का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति चमार है विपक्षीगण मुस्लिम जाति के हैं। प्रार्थी आराजी गाटा संख्या 143 स्थित मौजा बधनी परगना चर्दा तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती का मालिक है। सभी अभियुक्तगण जबरिया के बिना पर प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर परसेल लगाकर अपने घर का सारा पानी गिराते है। विरोध किया तो दिनांक 19—11—2024 को समय 5 बजे शाम को शहजाद, नेपाली व बैजू ने मारा पीटा घटना की सूचना थाने पर दिया तो इन लोगो ने सुलह करा दिया और काफी दिनों तक अवैध कब्जा नहीं हटाया। दिनांक 15—02—2026 को समय 7 बजे सुबह उपरोक्त विपक्षीगण से कहा कि मेरे खेत में जो परसेल लगाये हो हटा लो तथा पानी न गिराओ तो सभी विपक्षीगण ने एकराय होकर भददी भददी जातिगत गाली चमार साले मादरचोद तथा जान से मारने की धमकी देते हुए काफी मारा पीटा। हल्ला गुहार पर लायकराम व संतराम तथा तमाम लोग आ गये और बचाया। विपक्षीगण हत्या की धमकी देते हुए चले गये। घटना की सूचना थाने पर दिया कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 21—02—2026 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। कोई कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तदुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से आधार कार्ड की छायाप्रति, रजिस्टी रसीद, थानाध्यक्ष मल्हीपुर को भेजे गये पत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेज गये पत्र की फोटो प्रति, उद्धरण खतौनी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है। उक्त जाति प्रमाण पत्र में आवेदक को चमार जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। प्रस्तुत किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक के कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी सुकई राम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को मारने पीटने, गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने तथा जनता के दृष्टिगोचर स्थल पर उसे जातिगत गालियां देकर अपमानित किये जाने का आरोप लगाया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार दोनो पक्षों के कहासुनी होने तथा आपस में हुए समझौते की बात को स्वीकार किया है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा किये गये कथनों तथा उसके द्वारा दाखिल अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से इस संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले की विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना विधि सम्मत है क्योंकि, इस प्रकरण में विवेचना के दौरान नये तथ्यों के प्रकाश में आने की भी सम्भावना है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष, मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
जनपद श्रावस्ती।